प्रेस नोट
दिनांक 02.12.2024

गोरखपुर जोन की अन्तर्जनपदीय पुलिस क्रिकेट प्रतियोगिता–2024 में गोण्डा पुलिस द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन कर बनी ट्राफी की विजेता, पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा टीम को सम्मानित करते हुए उज्ज्वल भविष्य की दी शुभकामनाएं–

गोण्डा। गोरखपुर जोन की अन्तर्जनपदीय पुलिस क्रिकेट प्रतियोगिता 2024 का आयोजन दिनांक 26.11.2024 से 01.12.2024 तक जनपद महाराजगंज के छत्रपति शाहूजी महाराज स्पोर्ट्स स्टेडियम में संपन्न हुआ। जिसमें गोरखपुर जोन की 10 टीमों ने प्रतिभाग किया था। गोण्डा पुलिस टीम द्वारा बहराइच पुलिस टीम को हराकर फाइनल में जगह बनायी गयी थी। दिनांक 01.12.2024 को फाइनल मैच जनपद गोण्डा व कुशीनगर पुलिस टीमों के बीच हुआ। गोण्डा पुलिस टीम के कैप्टन अरविन्द राय द्वारा टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। गोण्डा पुलिस टीम द्वारा बल्लेबाजी करते हुए निधारित 20 ओवर में 09 विकेट खोकर 155 रन का लक्ष्य निधारित किया गया। जिसमें गोण्डा पुलिस टीम के खिलाड़ी अभय काशी 47 गेंदों पर 88 रन, अमित ने 17, उत्कर्ष ने 15 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी कुशीनगर की टीम 16.2 ओवर का मैच खेलकर 108 रन ही बना सकी। गोण्डा पुलिस के खिलाड़ी अभय काशी को शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच दिया गया तथा सीरीज में 11 विकेट लेने वाले गोण्डा के तेज गेदबाज अरविन्द राय को बेस्ट बालर से सम्मानित किया गया।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा गोरखपुर जोन की अन्तर्जनपदीय पुलिस क्रिकेट प्रतियोगिता–2024 की ट्राफी जीतने पर गोण्डा पुलिस टीम को सम्मानित करते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देकर बधाई दी गयी। तत्पश्चात महोदय ने खिलाड़ियों से वार्ता कर उनके अभ्यास में आ रही समस्याओं/कठिनाईयों के बारे में जानकारी की गयी तथा खेल से सम्बन्धित उपकरणों को समय से खिलाड़ियों को उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 02.12.2024

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ के उपरांत 02 शातिर बदमाशों को किया गया गिरफ्तार, नकबजनी की घटना का ,खुलासा, कब्जे से 01 अदद बैट्री, 01 अदद इनवर्टर, 01 अदद चोरी की मोटरसाईकिल व 01 अदद तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा व 01 अदद खोखा कारतूस बरामद–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा कटहाघाट रोड़ पावर हाउस के समीप पुलिस मुठभेड़ के उपरान्त 02 शातिर बदमाशों–01. संदीप उर्फ राममिलन पुत्र रामसहारे नि0 फूलपुर थाना मानपुर जनपद सीतापुर, 02. आमिर पुत्र शलीम नि0 आश्रय आवास सिविल लाइन थाना को0 नगर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 01 अदद बैट्री, 01 अदद इनवर्टर, 01 अदद चोरी की मोटरसाईकिल व 01 अदद तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा व 01 अदद खोखा कारतूस बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–
दिनांक 01.12.2024 की रात्रि थाना को0 नगर के व0उ0नि0 ब्रह्मनन्द सिंह व उ0नि0 विपुल कुमार मय पुलिस टीम के साथ शांति व्यवस्था हेतु क्षेत्र भ्रमण में रवाना होकर सिविल लाइन चौकी के पास मौजूद थे कि सूचना प्राप्त हुई कि दो मोटरसाईकिल सवार व्यक्ति चोरी के सामान के साथ कटहाघाट रोड़ से गोण्डा शहर की तरफ आ रहे है। पावर हाउस के पास आरोपियों को घेराबन्दी कर पकड़ने का प्रयास किया गया जिसमें बदमाशों द्वारा स्वयं को घिरता हुआ पाकर पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी जवाबी कार्यवाही के उपरान्त 02 शातिर बदमाशों–01. संदीप उर्फ राममिलन पुत्र रामसहारे नि0 फूलपुर थाना मानपुर जनपद सीतापुर, 02. आमिर पुत्र शलीम नि0 आश्रय आवास सिविल लाइन थाना को0 नगर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 01 अदद बैट्री, 01 अदद इनवर्टर, 01 अदद चोरी की मोटरसाईकिल व 01 अदद तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा व 01 अदद खोखा कारतूस बरामद किया गया।

पूछताछ का विवरणः–
अभियुक्तगणों से पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि इन लोगो का एक संगठित गिरोह है जो आर्थिक लाभ कमाने हेतु विभिन्न जनपदों में जाकर नकबजनी/चोरी की घटनाओ को अंजाम दिया करते हैं। गिरफ्तार अभियुक्तगणों द्वारा अपने साथी अभियुक्तों के साथ

मिलकर बरामद समान जनपद लखनऊ के नया बिहार कालोनी के एक घर से चोरी किया था। जिसके सम्बन्ध में जनपद लखनऊ के थाना मडियाव में मु0अ0सं0–676/24, धारा 331(4),305 बीएनएस बनाम अज्ञात अभियुक्तों के विरूद्ध पंजीकृत है। दोनों गिरफ्तार अभियुक्त गोण्डा में भी चोरी की घटना कारित करने के फिराक में थे।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण–</u>

01. संदीप उर्फ राममिलन पुत्र रामसहारे नि0 फूलपुर थाना मानपुर जनपद सीतापुर।
02. आमिर पुत्र शलीम नि0 आश्रय आवास सिविल लाइन थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

<u>पंजीकृत अभियोग–</u>

01. मु0अ0सं0– 904/24, धारा 109(1),317(2),317(4),319(2),318(4),338,336(3),340,340(2) भादवि 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 नगर, जनपद गोण्डा।

<u>अनावरित अभियोग–</u>

01. मु0अ0सं0– 676/24, धारा 331(4),305 बीएनएस थाना मडियाव जनपद लखनऊ।

<u>अभियुक्त संदीप उर्फ राममिलन का आपराधिक इतिहास–</u>

01. मु0अ0सं0–263/24, धारा 380,411 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

<u>बरामदगी–</u>

01. 01 अदद बैट्री
02. 01 अदद इनवर्टर
03. 01 अदद सुपर स्प्लेण्डर मोटरसाईकिल नं0–यू0पी0 30 जे0जे0 0745
04. 01 अदद तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा व 01 अदद खोखा कारतूस।

<u>गिरफ्तारी का स्थान–</u>

कटहाघाट रोड पावर हाउस के समीप।

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम–</u>

01. व0उ0नि0 ब्रह्मनन्द सिंह।
02. उ0नि0 विपुल कुमार पाण्डेय।
03. उ0नि0 केदारराम।
04. हे0का0 अशोक प्रजापति।
05. हे0का0 मुनीब यादव।

06. हे0का0 मनोज यादव।
07. का0 हरिश्चन्द्र राणा।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 02.12.2024

‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से बलवा करते हुए जानलेवा हमला करने के 05 आरोपी अभियुक्तों को हुई 10–10 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 25,000–25,000/– रूपये अर्थदण्ड की सजा–

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम महोदया श्रीमती पूजा सिंह द्वारा बलवा करते हुए जानलेवा हमला करने के 05 आरोपी अभियुक्तों–01. हबीब उल्ला पुत्र मंहगू, 02. अजीज उल्ला उर्फ जुल्ला पुत्र मंहगू, 03. गोली पुत्र ताहिद, 04. हकीफउल्ला पुत्र मंहगू, 05. इंसान पुत्र ताहिद निवासीगण टिकरिया थाना को0 देहात जनपद गोण्डा को दोषसिद्ध किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 25.12.2018 को उक्त अभियुक्तगणों द्वारा वादी शाहरूख खान पुत्र बदरे आलम नि0 ग्राम टिकरिया थाना को0 देहात को पुरानी रंजिश के चलते बलवा करते हुए जान से मारने की नियत से वादी के ऊपर फायर कर दिया था। जिससे वादी गम्भीर रूप से घायल हो गया था। वादी की तहरीर पर थाना को0 देहात में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। तत्कालीन विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जिसमें शासकीय अधिवक्ता, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल, कोर्ट मोहर्रिर व थाना को0 देहात के पैरोकार द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्तों को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम महोदया द्वारा 10–10 वर्ष का साधारण कारावास व प्रत्येक को रु० **25,000–25,000/–** रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी है।

<u>अभियुक्तगण का नाम पता–</u>

01. हबीबउल्ला पुत्र मंहगू निवासी टिकरिया थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
02. अजीज उल्ला उर्फ जुल्ला पुत्र मंहगू निवासी टिकरिया थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

03. गोली पुत्र ताहिद निवासी टिकरिया थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
04. हकीफउल्ला पुत्र मंहगू निवासी टिकरिया थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
05. इंसान पुत्र ताहिद निवासी टिकरिया थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

<u>पंजीकृत अभियोग–</u>

01. मु0अ0स0–513/18 धारा 147,148,149,307 भादवि थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0स0–515/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>